दिनांक- 26.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 438/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़- थाना पनवाड़ी

थाना पनवाड़ी पुलिस द्वारा

01 नफर वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल नेतृत्व में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में, थानाध्यक्ष श्री प्रवीण कुमार सिंह थाना पनवाड़ी जनपद महोबा के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना पनवाड़ी पुलिस को सफलता प्राप्त हुई।

उक्त अभियान के अंतर्गत गठित पुलिस टीम उ0नि0 प्रमोद कुमार शुक्ला मय हमराह रि0का0 परिवर्तन चक्र द्वारा 01 नफर वारंटी अभियुक्त शनी पुत्र मुन्नालाल अहिरवार, उम्र लगभग 20 वर्ष, निवासी मोहल्ला बजनापुरा कस्बा व थाना पनवाड़ी जनपद महोबा को माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) मु0नं0 250/2026, अ0सं0 180/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अनुपालन में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

शनी पुत्र मुन्नालाल अहिरवार, उम्र लगभग 20 वर्ष
निवासी मोहल्ला बजनापुरा कस्बा व थाना पनवाड़ी जनपद महोबा

संबंधित वाद का विवरण-

एनबीडब्ल्यू मु0नं0 250/2026
अ0सं0 180/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
माननीय न्यायालय महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 प्रमोद कुमार शुक्ला, थाना पनवाड़ी जनपद महोबा
2. रि0का0 परिवर्तन चक्र, थाना पनवाड़ी जनपद महोबा

दिनांक- 26.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 439/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़- थाना अजनर

थाना अजनर पुलिस द्वारा

01 नफर वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल नेतृत्व में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने तथा वांछित/वारंटी एवं जिला बदर अपराधियों की चेकिंग हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अजनर पुलिस को सफलता प्राप्त हुई।

उक्त क्रम में थानाध्यक्ष श्री सुभाष चन्द्र द्वारा गठित पुलिस टीम उ0नि0 रावेन्द्र मिश्रा एवं उ0नि0 हरी कुमार सिंह द्वारा माननीय न्यायालय से निर्गत वारंट की तामील के दौरान 01 नफर वारंटी अभियुक्त करन सिंह पुत्र स्व0 धरमजीत सिंह निवासी ग्राम गुढा थाना अजनर जनपद महोबा को संबंधित अ0सं0 189/2024, केस संख्या 8677/2024, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दिनांक 26.07.2026 को गिरफ्तार किया गया।

उक्त वारंट माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय महोबा न्यायालय से निर्गत है, जिसमें अभियुक्त की अगली पेशी दिनांक 10.08.2026 निर्धारित थी। गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

करन सिंह पुत्र स्व0 धरमजीत सिंह निवासी ग्राम गुढा थाना अजनर जनपद महोबा

संबंधित वाद का विवरण-

अ0सं0 189/2024

केस संख्या 8677/2024

धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 रावेन्द्र मिश्रा, थाना अजनर जनपद महोबा
2. उ0नि0 हरी कुमार सिंह, थाना अजनर जनपद महोबा

दिनांक- 26.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 440/26

महोबा पुलिस

मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महोबा पुलिस का जनपदव्यापी "बहू–बेटी सम्मेलन", महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन का संदेश

"सशक्त नारी – सुरक्षित समाज" के संकल्प के साथ महोबा पुलिस का व्यापक जागरूकता अभियान

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के मार्गदर्शन में आज दिनांक 26.07.2026 को मिशन शक्ति फेज-5.0 (द्वितीय चरण) के अंतर्गत जनपद महोबा के समस्त थाना क्षेत्रों में वृहद स्तर पर "बहू–बेटी सम्मेलन" का आयोजन किया गया।

महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत एसओपी के अनुपालन में जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में स्थापित मिशन शक्ति केंद्र टीमों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाओं, बहुओं, बालिकाओं, छात्राओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, आशा बहुओं, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं, जनप्रतिनिधियों एवं सम्मानित नागरिकों की उत्साहपूर्ण सहभागिता रही।

कार्यक्रमों के दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद स्थापित करते हुए उन्हें समाज में महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा एवं आत्मनिर्भरता के महत्व से अवगत कराया गया। साथ ही मिशन शक्ति अभियान के उद्देश्यों—नारी सुरक्षा, नारी सम्मान एवं नारी स्वावलंबन—के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई।

सम्मेलन के दौरान महिलाओं को उनके संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम एवं महिला उत्पीड़न से संबंधित विभिन्न कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक किया गया।

युवतियों एवं छात्राओं को शिक्षा के महत्व, आत्मरक्षा, आत्मविश्वास, व्यक्तित्व विकास, सुरक्षित भविष्य निर्माण एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के सुरक्षित उपयोग के संबंध में विशेष रूप से जागरूक किया गया। उन्हें साइबर अपराध, ब्लैकमेलिंग एवं ऑनलाइन ठगी से बचाव के उपाय बताते हुए किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने हेतु प्रेरित किया गया।

साइबर जागरूकता के अंतर्गत महिलाओं को OTP, बैंक खाता विवरण, ATM/CVV, UPI PIN एवं पासवर्ड साझा न करने, फर्जी कॉल/मैसेज/लिंक से सावधान रहने एवं साइबर अपराध होने पर 1930 हेल्पलाइन एवं निकटतम थाना/साइबर सेल से संपर्क करने हेतु जागरूक किया गया।

इसके अतिरिक्त शासन द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं—मिशन शक्ति, महिला हेल्प डेस्क, कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान, वन स्टॉप सेंटर, उज्ज्वला योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना—के संबंध में भी विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही 112, 1090, 181, 1098, 1930, 1076, 102 एवं 108 हेल्पलाइन नंबरों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया।

कार्यक्रम के दौरान महिलाओं की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया तथा यह विश्वास दिलाया गया कि महिला सुरक्षा एवं सम्मान के लिए महोबा पुलिस सदैव प्रतिबद्ध है और हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ी है।

दिनांक- 26.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 441/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर- थाना खन्ना

थाना खन्ना पुलिस द्वारा

01 नफर वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गोंड के पर्यवेक्षण में, थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र सिंह की देखरेख में वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना खन्ना पुलिस को सफलता प्राप्त हुई।

आज दिनांक 26.07.2026 को उपनिरीक्षक श्री लक्ष्मीनारायण सिंह मय हमराह हे0का0 लवलेश कुमार एवं रि0का0 विक्रम द्वारा वांछित वारंटी अभियुक्त त्रिलोक सिंह पुत्र मुलायम सिंह, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी ग्राम मवईखुर्द थाना खन्ना जनपद महोबा को माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोबा द्वारा निर्गत गैर-जमानती वारंट के अनुपालन में ग्राम मवईखुर्द से गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियुक्त से संबंधित वाद केस संख्या 4718/2013, अ0सं0 1063/2013 धारा 3/7 ईसी एक्ट से संबंधित है। गिरफ्तारी के उपरांत नियमानुसार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

त्रिलोक सिंह पुत्र मुलायम सिंह, उम्र लगभग 38 वर्ष

निवासी ग्राम मवईखुर्द थाना खन्ना जनपद महोबा

संबंधित वाद का विवरण-

केस संख्या 4718/2013

अ0सं0 1063/2013

धारा 3/7 ईसी एक्ट

माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उपनिरीक्षक श्री लक्ष्मीनारायण सिंह
2. हे0का0 लवलेश कुमार
3. रि0का0 विक्रम

दिनांक- 26.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 442/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर- थाना कबरई

थाना कबरई पुलिस द्वारा

01 नफर वारण्टी अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वारण्टी अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 26.07.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गोंड के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई श्री सन्तोष कुमार सिंह द्वारा गठित उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार मय हमराह म0कां0 अनामिका देवी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्ता श्रीमती उर्मिला पत्नी शिवलाल उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम रिवई सुनैचा थाना कबरई जनपद महोबा सम्बन्धित वाद संख्या 245/24 धारा 383 बीएनएसएस में मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) महोबा द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में अभियुक्ता उपरोक्त को ग्राम रिवई सुनैचा थाना कबरई के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्ता उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

श्रीमती उर्मिला पत्नी शिवलाल उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम रिवई सुनैचा थाना कबरई जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार

2.म0कां0 अनामिका देवी

दिनांक- 26.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 443/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़- थाना अजनर

थाना अजनर की पुलिस टीम ने अवैध देशी शराब के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के नेतृत्व में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में अवैध शराब पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 26.07.2026 को थाना अजनर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

थानाध्यक्ष अजनर श्री सुभाषचन्द्र द्वारा गठित टीम उ0नि0 श्रीकृष्ण वैश्य के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त बाल्मीकि पुत्र आशाराम उम्र करीब 27 वर्ष निवासी बौरिया मार्ग वीर सावरकर, वार्ड नं0-05 थाना कोतवाली नगर जनपद छतरपुर (म0प्र0) को ग्राम धवर्रा थाना अजनर जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया। जिसके कब्जे से कुल 25 अदद क्वार्टर ठेका देशी शराब ब्राण्ड "झूम" नाजायज बरामद की गई।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना अजनर पर मु0अ0सं0 136/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

बाल्मीकि पुत्र आशाराम उम्र करीब 27 वर्ष निवासी बौरिया मार्ग वीर सावरकर, वार्ड नं0-05 थाना कोतवाली नगर जनपद छतरपुर (म0प्र0)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्रीकृष्ण वैश्य
2. कां0 अमन यादव
3. कां0 अजीत यादव

दिनांक- 26.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या-444/26

महोबा पुलिस

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा अर्दली रूम में विवेचनाओं की गहन समीक्षा, अपराध नियंत्रण एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु दिए सख्त निर्देश...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह द्वारा आज दिनांक 26.07.2026 को क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के साथ सर्किल कुलपहाड़ के अंतर्गत आने वाले थाना कुलपहाड़, पनवाड़ी, महोबकंठ एवं अजनर में नियुक्त समस्त विवेचकों के साथ विवेचना निस्तारण के संबंध में अर्दली रूम आयोजित किया गया।

अर्दली रूम के दौरान UP Police के SSO (Single Sign On) पोर्टल पर प्रदर्शित 60/90 दिवस से लंबित विवेचनाओं की गहन समीक्षा करते हुए उनके त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु सख्त निर्देश दिए गए। साथ ही 06 माह से अधिक समय से लंबित विवेचनाओं के शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित विवेचकों को कड़ी हिदायत प्रदान की गई।

इस अवसर पर अन्य लंबित विवेचनाएं, शिकायती प्रार्थना पत्र, IGRS प्रकरण, पंचायतनामा जांच, गुमशुदा व्यक्तियों की जांच, अपहृता बरामदगी, निरोधात्मक कार्यवाही, न्यायालय से निर्गत NBW की तामील, e-समन, यक्ष ऐप, e-साक्ष्य, NCRP पोर्टल एवं प्रचलित अभियानों की प्रगति का विस्तृत परीक्षण किया गया तथा संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा सभी विवेचकों को गुणवत्तापूर्ण, निष्पक्ष एवं समयबद्ध विवेचना सुनिश्चित करने, लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण, वारंट/एनबीडब्ल्यू की शत-प्रतिशत तामील, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही करने के लिए कड़े निर्देश दिए गए।

अर्दली रूम उपरांत अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के साथ थाना कुलपहाड़ क्षेत्र में पुलिस बल के साथ सघन पैदल गश्त कर कानून एवं शांति व्यवस्था का जायजा लिया गया। गश्त के दौरान प्रमुख मार्गों, कस्बों, बाजारों एवं मिश्रित आबादी वाले संवेदनशील स्थलों पर भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का सूक्ष्म निरीक्षण किया गया।

इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों पर सतर्क निगरानी रखते हुए सघन चेकिंग कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की गई। साथ ही उपस्थित पुलिस बल को निरंतर सतर्कता बनाए रखने, प्रभावी गश्त करने एवं आमजन में सुरक्षा का विश्वास सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

दिनांक- 26.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या-445/26

महोबा पुलिस

जनपद महोबा पुलिस द्वारा सघन वाहन चेकिंग अभियान, यातायात नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़, सुरक्षित एवं सुचारु बनाए रखने हेतु निरंतर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद के समस्त थानों एवं यातायात पुलिस की संयुक्त टीमों द्वारा प्रमुख चौराहों, बाजारों एवं व्यस्त मार्गों पर विशेष चेकिंग अभियान संचालित किया गया।

अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई की गई। चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट वाहन चलाना, तीन सवारी बैठाकर वाहन संचालन, बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाना, मॉडिफाइड साइलेंसर का प्रयोग, सीट बेल्ट का प्रयोग न करना एवं वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना आदि उल्लंघनों पर कड़ी निगरानी रखते हुए नियमानुसार चालान किए गए।

अभियान के अंतर्गत जनपद के समस्त थानों एवं यातायात पुलिस की संयुक्त टीमों द्वारा प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई करते हुए कुल 254 वाहनों के चालान किए गए, जिन पर ₹2,56,000/- (दो लाख छप्पन हजार रुपये) समन शुल्क अधिरोपित किया गया। उक्त समस्त कार्रवाई मोटर वाहन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत पूर्णतः नियमानुसार संपादित की गई।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा सभी पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि आमजन के साथ विनम्र व्यवहार रखते हुए यातायात नियमों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

महोबा पुलिस की अपील:-

जनपदवासियों से अनुरोध है कि यातायात नियमों का पालन करें। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट एवं चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें। वाहन चलाते समय आवश्यक दस्तावेज साथ रखें तथा शराब पीकर वाहन चलाने, ओवरस्पीडिंग एवं मोबाइल फोन के प्रयोग से बचें।

जनपद महोबा पुलिस द्वारा सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था हेतु यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।